

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>न अ द र</p>
<p>23/10/19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, प्रतिवादी पक्षील और प्रति पक्षील द्वारा वाद को अफेक्ट किया जाने हेतु पेश जा रहा था पर अदालत की गार्ड तथा निवेशन किया कि प्रतिवादी का शम्भू की दिनांक 10/12/17 को शुरु हो जाने पर भी वादी द्वारा आदिनांक तक उसके कार्ड का प्रारंभ पेश नहीं किया गया है अतः अफेक्ट के विरुद्ध वाद 188 शांति का वाद चलाये रखने का कोर्ट आदेश नहीं है। का मु प्रारंभ पेश नहीं करने से वादी का वाद अफेक्ट हो जाने से जाति किया जाएगा अतः प्रारंभ के - पीछे 22 नियम 374 एच का उपलक्षण अध्ययन किया प्रति की शुरु के लगभग 23 अक्टू (690 दिन) का समय हो गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी के प्रारंभ पर कोर्ट अदालत की गार्ड है। अतः कार्ड बनाने जाने की प्रारंभ अदालत समाप्त हो जाने से वादी का वाद अफेक्ट हो चुका है, जिसे अफेक्ट किया जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फौजदारी दफ्तर नम्बर से कज हो तथा वाद तारीख तारीख दायित्व दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">Miy</p>	